

पत्र संख्या--कारा/भवन-45/2006...595  
बिहार सरकार  
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय,  
गृह विभाग (कारा)।

प्रेषक,

राजीव वर्मा,  
संयुक्त सचिव--सह--निदेशक (प्र०),  
गृह विभाग (कारा)।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक०),  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक--...९७/०२/२०१७

विषय:-- राज्य योजना वित्तीय वर्ष-2016-17 अन्तर्गत अररिया आर०एस० मुख्य सड़क नवनिर्मित मंडल कारा, अररिया तक आर०सी०सी० पहुँच पथ के निर्माण कार्य हेतु ₹53,89,600 (तिरपन लाख नवासी हजार छः सौ रूपये) की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजना वित्तीय वर्ष-2016-17 अन्तर्गत अररिया आर०एस० मुख्य सड़क नवनिर्मित मंडल कारा, अररिया तक आर०सी०सी० पहुँच पथ के निर्माण कार्य हेतु ₹53,89,600 (तिरपन लाख नवासी हजार छः सौ रूपये) की लागत पर, वित्त विभाग के संकल्प पत्र संख्या-96वि०(2) दिनांक-03.01.2008 की कांडिका 4(क) के आलोक में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

2. उपरोक्त स्वीकृति मांग सं०-3 के अधीन मुख्य शीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष-60-अन्य भवन, लघु शीर्ष- 051- निर्माण, उपशीर्ष-0105-केन्द्रीय/मंडल/ उपकाराओं के भवन निर्माण (गृह कारा विभाग) विपत्र कोड-पी० 4059600510105, राज्य योजना स्कीम कोड BUI-5591 विषय शीर्ष 53 01 मुख्य निर्माण कार्य के अधीन दी गई है।


3. योजनाओं के लिए राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।

4. उक्त प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, गृह विभाग द्वारा सचिका संख्या-कारा/भवन-45/2006 के पृ०-45/टि० पर दिनांक-27.01.2017 को अनुमोदन दिया गया है।

5. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या-कारा/भवन-20/2006 के पृ०-47/ टि० पर दिनांक-03.02.17 को प्राप्त है।

6. योजना को ससमय कार्यान्वित कराने का दायित्व भवन निर्माण विभाग का होगा, जो योजना को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण कराकर प्रधान सचिव, गृह विभाग एवं महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार को प्रतिवेदित करेंगे।


विश्वासभाजन

  
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)

ज्ञापांक:- कारा/भवन-45/2006...505

पटना, दिनांक-07/02/2017


प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, सचिव, भवन निर्माण विभाग/बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, अररिया/अधीक्षक, मंडल कारा, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)

ज्ञापांक:- कारा/भवन-45/2006...505

पटना, दिनांक-07/02/2017

प्रतिलिपि:- संयुक्त निदेशक, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)